



टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं: 12(82)/एलसी/2009/

दिनांक 15.01.2024

परिपत्र

विषय: चाय अपशिष्ट की घोषणा से संबंधित

चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश, 1959 के अनुच्छेद 3ए के अनुसार, चाय की पत्तियों, कलियों और कैमेलिया सिनैसिस (एल) ओ कुन्त्जे पौधे के कोमल तनों से संसाधित होने पर चाय के अपशिष्ट और तैयार चाय की न्यूनतम मात्रा 2:100 किलोग्राम के अनुपात में होनी चाहिए। उक्त प्रावधान को कुछ हितधारकों द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और आज की तारीख में चाय की विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले चाय अपशिष्ट का न्यूनतम प्रतिशत 2% के स्थान पर 0.2% है।

इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित है कि विवेकपूर्ण तरीके से चाय अपशिष्ट का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण चाय के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक है और तदनुसार सभी चाय निर्माताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस तरह से चाय अपशिष्ट का उत्पादन सुनिश्चित करें जिससे गुणवत्तापूर्ण चाय का उत्पादन हो सके और घोषणा के लिए न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत यानी 0.2% की सीमा तक सीमित नहीं है। इससे भारतीय चाय निरंतर रूप से अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने में सक्षम होगी।

वर्तमान में, चाय अपशिष्ट का उपयोग त्वरित चाय, जैव-उर्वरक और कैफीन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है। हालाँकि, चाय अपशिष्ट के उपयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए बोर्ड चाय अपशिष्ट को केवल त्वरित चाय के उत्पादन या निर्यात उद्देश्य के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया में है। निर्यात के अलावा त्वरित चाय के निर्माण के लिए चाय अपशिष्ट को या तो निर्माताओं द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए या खाद बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में चाय (अपशिष्ट) नियंत्रण आदेश, 1959 में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव जल्द ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को भेजा जाएगा।

बोर्ड ने संपूर्ण चाय अपशिष्ट की बिक्री को इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से करने का भी निर्णय लिया है। तदनुसार, सभी उत्पादकों से अनुरोध है कि वे अपने द्वारा उत्पन्न चाय अपशिष्ट को पूरी तरह से 1 अप्रैल, 2024 से नीलामी के माध्यम से पेश करें। बिना बिके अपशिष्ट को बिना किसी वृष्टि के नष्ट कर दिया जाना चाहिए या खाद बनाया जाना चाहिए।

अनुपालन के लिए इस पत्र की सामग्री को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राजनीगंधा सील नस्कर

(राजनीगंधा सील नस्कर)

अनुज्ञापन नियंत्रक

वितरण:

सभी उत्पादक संघ	सदस्यों के बीच संचलन एवं अनुपालन हेतु
चाय अपशिष्ट के सभी क्रेता	
का.नि., कूनूर व गुवाहाटी	कृपया सूचना हेतु
उ.नि.चा.वि., सिलिगढ़ी	
सिस्टम एनालिस्ट	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
एनएसईआईटी	आवश्यक कार्रवाई हेतु